न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय–सह–विशेष न्यायालय,सीवान।

अग्रिम जमानत आवेदन सं. 2706 / 2022

23.01.2023 दरौंदा थाना कांड संख्या 74 / 2022 अंतर्गत धारा 447,341,323,302,504, 506,34 भा.द.वि. एवं धारा 3(2)(va) अनु.जा.ज.जा. (अ.उ.) अधिनियम में गिरफ्तारी के भय से अभियुक्त अलबेला मॉझी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचक दशरथ मांझी का मुख्य रूप से आरोप है कि दिनांक 19.03.2022 को समय 18:30 बजे दिन शाम को वे अपने दरवाजे पर गाय खिला रहे थे तभी उनके गांव के पांच लोग अचानक उनके दरवाजे पर मंटु चौरसिया, मनीष चौरसिया, अलवेला मांझी, राहुल मांझी एवं त्रिभूवन मांझी लाठी डंडा लेकर आये तथा गाली गलौज करते हुए फैट तथा लाठी से जमींन पर पटककर मारने लगे। इस घटना को देखकर उनकी बेटी प्रीति कुमारी एवं उनकी भवे कुन्ती देवी दौड़कर आई और उन्हें बचाने की कोशिश की। उपरोक्त सभी अभियुक्तगण उनकी भवे कुंती देवी को झटकार कर बाहर गिरा दिये तथा उनकी बेटी प्रीति कुमारी को पटक कर मुक्का से मारने लगे जिससे उनकी बेटी बेहोश हो गयी। सभी अभियुक्तगण जाते समय अभद्र भाषा का प्रयोग कर बोले कि सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी बेटी की तरह तुम्हारी दशा अभी और करेंगे। सूचक के अनुसार मारपीट का कारण यह है कि सूचक अपने दरवाजे से दूर संगत (होलिका दहन) करने को बोला था जबकि उक्त सभी लोग सूचक के दरवाजे पर ही होलिका दहन करना चाहते थे। ईलाज के क्रम में अस्पताल जाते समय उनकी बेटी प्रिति कुमारी की मृत्यु हो गयी।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है तथा इसने कोई अपराध नहीं किया है। इनका यह भी तर्क है आवेदक को इस घटना की कोई जानकारी नहीं है, न हीं वह घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित था। इसे ग्रामीण राजनीति से झूठा फसाया गया है। इनका यह भी तर्क है कि प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध मृतका अथवा किसी अन्य को मारपीट कर जख्मी करने का स्पष्ट आरोप नहीं है तथा इसके विरूद्ध लगायागया आरोप साधारण एवं अस्पष्ट है। इस तरह आवेदक के विरूद्ध धारा 302 भा.दं.वि. अथवा विशेष अधिनियम का आरोप नहीं बनता है और पुलिस इसे गिरफ्तार करने को तत्पर है। इनका यह भी तर्क है कि मामले के अन्य सह अभियुक्तों का जमानत माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः उक्त के आलोक में इन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा दिये जाने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है तथा इसके विरूद्ध सह अभियुक्तों के साथ मिलकर अनुसूचित जाति के सदस्य सूचक एवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर जख्मीं करने का आरोप है और इलाज के क्रम में अस्पताल जाते समय सूचक की पुत्री प्रीति कुमारी की मृत्यु हो गयी जिसके संदर्भ में कांड दैनिकी की कंडिका 4,5,6 एवं 8 में साक्षियों ने प्राथमिकी की घटना का पूर्ण रुप से समर्थन करते हुए कहा है कि सभी नामजद अभियुक्त मिलकर दशरथ मॉझी को लाठी डंडा,फट्टा एवं ईट से मारपीट करने लगे और जब उसे बचाने कुंती देवी एवं मंजु देवी आयी तो वेलोग धक्का मुक्की कर भगा दिये। उसके पश्चात दशरथ मॉझी की पुत्री प्रिती कुमारी बचाने आयी तो सभी मिलकर प्रिती कुमारी के साथ मारपीट किये तथा राहुल मॉझी फैट मुक्का से मारकर बेहोश कर दिये तथा इलाज के दौरान सदर अस्पताल लाने पर प्रिती कुमारी की मृत्यु हो गयी। कांड दैनिकी के कंडिका 2 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में मृतिका प्रीति कुमारी के मृत्यु का कारण मार–पीट के कारण चोट लगना उल्लेखित है। कांड दैनिकी में अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है जिसमें मृतिका प्रीति कुमारी के मृत्यु का कारण **"Hemorrhagic shock due to head injury by hard blunt object"** चिकित्सक द्वारा बताया गया है। इनका यह भी तर्क है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सह अभियुक्तों का नियमित जमानत आवेदन उनके कारा में रहने के पश्चात स्वीकार किया गया है और आवेदक का मामला अग्रिम जमानत आवेदन का है। अतः उक्त के आलोक में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना करते है।

उपरोक्त तर्कों, तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक अभियुक्त पर सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने का आरोप होने के समर्थन में अनुसंधान के दौरान कांड दैनिकी में संकलित साक्ष्य और उसी मारपीट के कारण सूचक की पुत्री प्रीति कुमारी का ईलाज के क्रम में मृत्यु होने, मृतिका प्रीति कुमारी के अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन में चिकित्सक द्वारा उसकी मृत्यु का कारण **"Hemorrhagic shock due to head injury by hard blunt object"** बताये जाने के तथ्य एवं अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

ह0/–

विशेष न्यायाधीश, सीवान